



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 5, शुक्रवार, शाके 1936-अप्रैल-25, 2014  
Vaisakha 5, Friday, Saka 1936-April 25, 2014

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 10, 2014

संख्या प.23 (2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.23 (2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 31 जनवरी, 2013 को अधिक्रमित करते हुए तथा गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.23 (2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 01-7-2003, जिसके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम संख्या 3 के लिए राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) के रूप में श्री बृज किशोर गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर का मनोनयन करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
चुन्नी लाल कायल,  
संयुक्त शासन सचिव।